

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/359 - 419

भोपाल, दिनांक 9.06.2020

प्रति,

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
समस्त (म. प्र.)
2. महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
समस्त (म. प्र.)

विषय :- स्वरोजगार योजना अंतर्गत स्थापित इकाईयों के म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता के संबंध में।


संदर्भ :- म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 का बिंदु क्रमांक 4.5

४०४०४०

विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के बिंदु क्रमांक 4.5 में निम्न प्रावधान है :-

"कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त किया हो, वह म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी।"

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर स्थापित होने वाली विनिर्माण श्रेणी की इकाई द्वारा विस्तार/डावर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया जाता है, तो वे उनके द्वारा विस्तार/डावर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु किये गये नवीन निवेश पर एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होगी।



उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश